विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है और इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय-1 एवं अध्याय-2 पंचायती राज संस्थाओं से और अध्याय-3 एवं अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं की रूप-रेखा

73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निधियों तथा कर्मचारियों सहित संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्य सुपुर्द किये जाने थे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1994 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित किया राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 15 लाईन विभागों से सम्बंधित कार्यभार सौंपे गए है। हिमाचल प्रदेश राज्य में 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं।

(अध्याय-1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान छः जिला परिषदों, छः पंचायत समितियों और 128 ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा संचालित की गई। पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा से निम्नवत् उजागर हुआ: (क) लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए तथा पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड किए गए प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के मध्य अंतर; (ख) पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा का अनुरक्षण न करना; (ग) राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका का अनुरक्षण न करना; (घ) पंजिकाओं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका, अस्थाई अग्रिम पंजिका, अनुदान पंजिका, चैक जारी करना व प्राप्ति पंजिका, इत्यादि; (ड़) स्व-संसाधनों तथा अनुदानों/ऋणों से आय के लेखों का अनुचित अनुरक्षण; (च) बैंक स्टेटमेंट के साथ शेष का गैर-सामंजस्य; (छ) भौतिक सत्यापन संचालित न करना; तथा (ज) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्टॉक पंजिका में सामग्रियों की गणना न करना।

78 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2015-16 में ₹ 22.80 लाख के गृहकर की वसूली नहीं की थी। 15 पंचायती राज संस्थाएं दुकानों के किराया प्रभारों के आधार पर ₹ 11.31 लाख की राशि की वसूली करने में विफल रहीं। 42 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों के आधार पर ₹ 12.25 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई। वर्ष 2013-16 के दौरान दो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बजट आकलन तैयार/पारित किए बिना ₹ 68.71 लाख का व्यय किया गया था। 28 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किए जाने के कारण ₹ 74.97 लाख की निधियां अव्ययित रहीं। 33 पंचायती राज संस्थाओं में निमार्ण कार्यों की अपूर्णता के कारण ₹ 1.44 करोड़ की निधियां अव्ययित रहीं। 51 पंचायती राज संस्थाओं में 13वें वित्त आयोग से ₹ 11.96 करोड़ की निधियां निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किए जाने, अपूर्ण कार्यों तथा निधियों को अवमुक्त नहीं करने के कारण अव्ययित रहीं। 58 पंचायती राज संस्थाओं में 14वें वित्त आयोग से ₹ 4.41 करोड़ की निधियां निर्माण कर्यों को आरम्भ न किए जाने, अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण अप्रयुक्त रहीं। तीन पंचायत समितियों के पर्सनल लेजर खाते में लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु चिह्नित ₹ 6.16 लाख की निधियां अव्ययित रहीं। एक ग्राम पंचायत में निर्मल भारत अभियान से प्राप्त ₹ 6.09 लाख की निधियां अव्ययित रही। एक ग्राम पंचायत में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए निर्धारित ₹ 0.20 लाख की निधियां अव्ययित रही। छः ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में विभन्न निर्माण कार्यों हेतु एक जैसे उन्हीं मजदूरों की नियुक्ति की। दो ग्राम पंचायतों में नौ मजदूरों को मस्टर रोल पूर्ण किए बगैर ₹ 0.31 लाख राशि की मजदूरी के भुगतान पर व्यय की। चार ग्राम पंचायतों ने बिना दस्तावेजी प्रमाण के 15 मजदूरों को ₹ 0.21 लाख की मजदूरी का भुगतान किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन, मजदूरों को ₹ 1.18 करोड़ का मजदूरी भुगतान, एक से 178 दिनों की अवधि तक विलम्बित किए जाने से प्रमाणित हुआ था। ग्राम पंचायत बरतो में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के तहत निमार्ण कार्यों

में ₹ 0.19 लाख राशि का संदेहास्पद व्यय किया गया। दो ग्राम पंचायतों में ₹ 0.50 लाख राशि का अस्थाई अग्रिम एक से 31 वर्षें की अवधि के लिए बकाया रहा।

(अध्याय-2)

शहरी स्थानीय निकायों की रूप-रेखा

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शक्ति के विकेन्द्रीकरण और शहरी स्थानीय निकायों को निधियों एवं कर्मचारियों सहित संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया।

हिमाचल प्रदेश में, शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य हस्तांतरित किए गए थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने, शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां तथा जिम्मेदारियां हस्तांतरित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगरीय अधिनियम,1994 अधिनियमित किए। राज्य में दो नगरपालिकाएं, 30 नगर परिषदें तथा 22 नगर पंचायतें हैं।

(अध्याय-3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान एक नगरपालिका, 11 नगर परिषदों और चार नगर पंचायतों में लेखापरीक्षा संचालित की गई। शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा से निम्नवत् उजागर हुआ: ((क) वार्षिक लेखे तैयार न करना; (ख) बजट आकलन तैयार न करना; (ग) बैंक स्टेटमेंट के साथ गैर-सामंजस्य; तथा (घ) सामग्रियों को लेखांकित न करना।

12 शहरी स्थानीय निकायों में, मार्च 2016 तक ₹ 8.11 करोड़ का गृहकर बकाया था। 16 शहरी स्थानीय निकाय दुकानों/बूथों/स्टालों से ₹ 7.30 करोड़ राशि के किराये की वसूली करने में विफल रहे। 15 शहरी स्थानीय निकायों की मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 34.06 लाख की राजस्व हानि हुई। चार नगर परिषदों की सफाई/स्वच्छता कर, रेहड़ी/तहबाजारी शुल्क व व्यापार कर के संग्रहण में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 53.84 लाख की राजस्व हानि हुई। नगर निगम शिमला में दुकानों तथा स्टालों की पट्टा राशि से ₹ 53.64 लाख के राजस्व का अवरोधन हुआ। पट्टेदारों से ₹ 1.77 करोड़ का सम्पत्ति कर संग्रहित न करने के कारण नगर निगम शिमला को अपने हिस्से के राजस्व की हानि हुई, 10 शहरी स्थानीय निकायों में 93 विकास कार्यों को आरम्भ नहीं किये जाने और अधूरे कार्यों के कारण ₹ 4.39 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ था। नगर परिषद श्री नैना देवी जी में 13वें वित्त आयोग की ₹ 93.23 लाख की राशि निर्माण कार्यों के आरम्भ न होने के कारण अप्रयुक्त रही। नगर पंचायत दौलतपुर चौक (जिला ऊना) में 14वें वित्त आयोग की ₹ 11.52 लाख की राशि अव्ययित रही। तीन शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज परियोजनाओं हेतु निर्धारित ₹ 1.80 करोड़ की निधियां अव्ययित रही। तीन नगर परिषदों में 1988-89 से 2016-17 के दौरान ₹ 18.24 लाख राशि का अस्थाई अग्रिम, पिछले अग्रिमों के समायोजना के बगैर संस्वीकृत किया गया।

(अध्याय- 4)